रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 1995/ज्येष्ठ 12, 1917
No. 240] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 1995/JYAISTHA 12, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1995

सा०का०नि० 470(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6), के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री प्राती रवीन्द्र बाबू को कोचीन पत्तन के न्यासी मंडल में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) के सा०का०नि० सं 356(अ), दिनांक 31 मार्च, 1994 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"19. श्री प्राती रवीन्द्र बाबू—"अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए"।

[फा. सं. पी टी-18011/3/93-पी टी]
सी.एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1995

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Prathi Ravindra Babu as a Trustee to represent "Other Interests" on the Board of Trustees for the Port of Cochin and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 356(E) dated 31st March, 1994.

2. In the said notification, after serial No. 18 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted namely :—

"19. Shri Prathi Ravindra Babu—Representing "Other Interests"."

[F. No. PT-18011/3/93-PT]
C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1995

सा०का०नि० 471(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री देवता मुसला राव को मुरगाव पत्तन के न्यासी मंडल में "अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) के सा.का.नि. संख्या 358 (इ) दिनांक 31 मार्च, 1994 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"19. श्री देवता मुसला राव—"अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए"।

[फा० सं० पी टी-18011/5/93-पीटी]
सी०एस० खैरवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1995

G.S.R. 471(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Devata Musala Rao as a Trustee to represent "Other Interests" on the Board of Trustees for the Port of Mormugao and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 358(E) dated 31st March, 1994.

2. In the said notification, after serial No. 18 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

"19. Shri Devata Musala Rao—Representing "Other Interests".

[F. No. PT-18011/5/93-PT]
C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1995

सा०का०नि० 472(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा० बी० सुब्बा राव को पारादीप पत्तन के न्यासी मंडल में नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) के सा०का०नि० संख्या 360 (इ) दिनांक 31 मार्च, 1994 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्—

"17. डा. बी. सुब्बाराव—"अन्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए"।

[फा० सं० पी टी-18011/7/93-पी टी]
सी०एस० खैरवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1995

G.S.R. 472(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Dr. B. Subba Rao as a Trustee to represent "Other Interests" on the Board of Trustees for the Port of Paradip and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 360(E) dated 31st March, 1994.

2. In the said notification, after serial No. 18 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

"17. Dr. B. Subba Rao— Representing "Other Interests"."

[F. No. PT-18011/7/93-PT]
C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995